न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2018

जगदीशप्रसाद वगैरह बनाम भाना वगैरह

दावा बाबत धोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.05.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का बाजला की सरहद में भूमि हाल ख0न0 10 रकबा 2.06 है0, ख0न0 205 रकबा 0.71 है0, ख0न0 208 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं, ख0न0 209 रकबा 0.15 है0, ख0न0 220 रकबा 8.32 है0, ख0न0 210 रकबा 15.16 है0, ख0न0 101 रकबा 4.30 है0 व ख0न0 102 रकबा 0.11 है0 भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में ख0न0 101 व 102 को छोड़कर शेष भूमि दयाला की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है तथा ख0न0 101 व 102 में दयाला का 1/4 हिस्सा रहा है। दयाला के पश्चात उसके दो पुत्र भाना व भागीरथ में वादग्रस्त भूमि बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में से ख0न0 101 व 102 की भूमि को छोड़कर शेष भूमि में भागीरथ के हिस्से में दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि भागीरथ के वारिसान के मध्य बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हुई ओर उसी अनुसार सभी मुताबिक काबिज काश्त है। ख0न0 101 व 102 में दयाला के हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि में भागीरथ के हिस्से में 1/2 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ। भागीरथ के पश्चात उसके हिस्से की 1/8 हिस्सा भूमि में उसके वारिसान अपने–अपने हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। ख0न0 220 रकबा 8.32 है0 भूमि में भाना ने अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.52 है0 भूमि प्रतिवादी नितूसिंह को विक्रय कर दी। ख0न0 210 रकबा 15.16 है0 भूमि में से वादी जगदीश प्रसाद ने अपने हक हिस्से के अलावा जमीन क्रय करके 3.43 है0 भूमि का सहखातेदार है तथा इसी ख0न0 में भाना ने अपने हिस्से की भूमि में प्रतिवादी सुरेन्द्र पुत्र माईधन, सरिता पत्नी सुरेन्द्र, शारदा पत्नी माईधन को विक्रय की है। साथ ही भूमि ख0न0 101, 102 में भाना ने अपने हिस्से की 1/8 हिस्सा भूमि सुरेन्द्र पुत्र माईधन का विक्रय कर दी। इसी ख0न0 में गोरू पुत्र डालू 0.2756 है0 भूमि का सह खातेदार है। जिसके पश्चात उक्त भूमि उसके वारिसान को उनके हक हिस्सा अनुसार प्राप्त हुई। उक्त भूमि में 0.0459 है0 जमीन का खातेदार गोरधन रहा। गोरधन व उसकी पत्नी नाऔलाद फौत होने से उनके हक हिस्से की भूमि उसके भाई चिमनाराम पुत्र नाराणाराम को प्राप्त हुई। इसी ख0न0 में 0.1378 है0 भूमि मनभरी पत्नी बनवारीलाल व 0.1378 है0 भूमि की खातेदार मनीदेवी पत्नी धासीराम तथा 0.0689 है0 भूमि का खातेदार रामेश्वर पुत्र चुना एवं 0.0459 है0 भूमि की खातेदार सुनिता पत्नी ताराचन्द रहे। उनके पश्चात उक्त वर्णित भूमि उनके वारिसान् को प्राप्त हुई। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की धारा 16 क, ख, ग, ध, के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर खाता अलग करने के आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 12, 13, 19 लगायत 24, 26, 28 लगायत 30, 33, 34, 39, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 65, 69, 72, 76, 77, 79, 80, 83, 84 लगायत 88 की तामिल विधिवत

हीं होने पर पुनः तामिल जरिये अखबार करवाई गई। बाद तामिल अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी इनकी ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन करने में कोई एतराज/आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस ख0न0 101 व 102 के सहखातेदारन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने ख0न0 101 व 102 में दर्ज सहखातेदारन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त खाता अलग करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने भी तदनुसार वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। बहस के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण वादपत्र की धारा 4 में दर्ज भूमि ख0न0 101 व 102 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के मध्य उनके दर्ज हिस्से मुताबिक कब्जे काश्त विभाजन कर खाता अलग करने का अनुतोष चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुतपूरा पटवार हल्का बाजला की सरहद में भूमि हाल ख0 न0 101 रकबा 4.30 है0 व ख0न0 102 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.41 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-5-22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर